

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018)" में प्राविधानित व्यवस्था के तहत एवं उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 564/XIII-I/2010-3(11)/2010 देहरादून दिनांक 16.06.2010 के द्वारा कर्मिकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अनुक्रम में विभागाध्यक्ष स्तर से जनपद एवं मण्डल स्तर पर किए जाने वाले स्थानान्तरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|---|----------|
| कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष, |
| 1. अपर कृषि निदेशक,
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य, |
| 2. उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 3. निदेशक,
रेशम विभाग,
प्रेसनगर, देहरादून। | सदस्य |

ह/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक-कू0नि0/9838/स्था0-1/कार्यालय ज्ञाप (91)/ 2017-18 देहरादून दिनांक 31/03/ 2018
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागीय समिति के समस्त सदस्य।
2. समस्त, पटल सहायक, (स्थापना) कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार अपने पटल से सम्बन्धित स्थानान्तरण प्रकरणों को समिति के सम्मुख निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (स्थापना) कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली में संचय हेतु।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।